






फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26  
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
सुशीला व अन्य बनाम रामेश्वरी देवी व अन्य  
वादपत्र संख्या 2022/041

online #

अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए,209 आरटीए एक्ट





आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
16.05.2022	वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल स्वामी द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 13 जून, 2022 को पेश हो. 	
13/6/22	आज बार सच न कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...6/7/22... को पेश हो। 	
6/7/22	अधिवक्तागण उपस्थित उतिवादी सं 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश कुमार द्वारा मीमो एलिजिन्स्य उक्त आदेश पत्रावली है, उतिवादी सं 3,4 को जारी सम्मन बार तामीर जाए, उतिवादी सं 3,4 को किरा कर-रुक कर अकाउं लगाने के पर की उपस्थित नही, कतः उतिवादी सं 3,4 के किरा एम्पलीम काफिले मी जारी है शेष उतिवादीगण के जारी सम्मन काल/ बार तामीर जाए नही, पत्रावली काहे इतना तलबी हेतु उतिवादी सं 2 के वकाअनामा हेतु दिनांक 27/7/22 को पेश हो। 	
27/7/22	आज पीठासीन अधिकारी श.रा. आग काफिले मेरफा पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/8/22... को पेश हो। 	
25/8/22	आज पीठासीन अधिकारी श.रा. आग काफिले मेरफा पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/9/22 को पेश हो। 	



फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26  
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
सुशीला व अन्य बनाम रामेश्वरी देवी व अन्य  
वादपत्र संख्या 2022/041

online #

अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए,209 आरटीए एक्ट

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
16.05.2022	वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल स्वामी द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 13 जून, 2022 को पेश हो. 	
13/6/22	आज बार सच न कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक..6/7/22 को पेश हो।	
6/7/22	अधिवक्तागण उपस्थित उतिवादी सं-2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीय कुमार द्वारा मीमो एलिजिन्स्य उक्त आदेश पत्रावली है, उतिवादी सं 3,4 को जारी सम्मन बार तामीर उपर, उतिवादी सं 3,4 को किरा कर-रुक कर अवाले लगाके जाके पर की उपस्थित नसी, कतः उतिवादी सं 3,4 के किरा एम्पलीम का विषय की जाती है शेष उतिवादीगण के जारी सम्मन उक्त बार तामीर उपर नसी, पत्रावली वाहे इतना तलबी एं उतिवादी सं 2 के वकात्मनाम हेतु दिनांक 27/7/22 को पेश हो। 	
27/7/22	आज पीठासीन अधिकारी <del>श.र. उपा. कार्यालय</del> पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/8/22 को पेश हो। 	
25/8/22	आज पीठासीन अधिकारी <del>श.र. उपा. कार्यालय</del> पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22/9/22 को पेश हो। 	

28/10/24 आज तार सघन कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/10/24 को पेश हो।

12/7/24 आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/8/24 को पेश हो।

12/8/24 आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/9/24 को पेश हो।

20/10/24 आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/10/24 को पेश हो।

21/10/24 आज पीठासीन अधिकारी... पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/11/24 को पेश हो।

28.11.24 अधिवक्ता वादी उपर ही। वरिष्ठ स्वयं उपर ही। पत्रावली 4 दिनांक 01/11/24 की तारीख हेतु विचारणीय है न्यायालय समय में बार-2 फुट-कुकुर अक्षरों लगाने जाते पर भी कोई उपस्थित नहीं आये। अतः प्रकरण सं. 41/2022 अनुवाची सुरीला व प्रम कान रामेश्वरी केने व अन्य कान अक्षर पंखी/आरु ए। जरी में वरिष्ठ स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्लीक है। पत्रावली वरिष्ठ पंखी के उपर ही। अतः अक्षर पंखी की रानी के शासन है।